National Lok Adalat held on 13th August, 2022

A National Lok Adalat for Pre-Litigation & Pending matters was organized on **13th August, 2022** under the patronage of **Patron-in-Chief Hon'ble Shri Justice Amjad Ahtesham Sayed, Chief Justice**, High Court of Himachal Pradesh and under the able and innovative guidance of **Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge,** High Court of Himachal Pradesh and **Executive Chairperson**, **Himachal Pradesh State Legal Services Authority** in all the Courts in the State of Himachal Pradesh.

Hon'ble Executive Chairperson during video conferencing held with the Judicial Officers laid emphasis on effective identification and disposal of cases before National Lok Adalat. All the Judicial Officers were also impressed upon to identify old cases, motor accident claim cases, matrimonial cases, insurance matters, labour court matters, criminal compoundable matters etc.

As per direction of Hon'ble Executive Chairperson, **a special drive was undertaken** for identification and disposal of Negotiable Instrument Act cases upto the value 10. Lacs, Family Matters, Petty Offences & old and infective cases and Criminal Compoundable cases for amicable settlement of disputes both at pre-litigation and post-litigation stage in the National Lok Adalat.

This time National Lok Adalat was not only organised but celebrated in the **spirit of an Utasav** all over the state. In this regard, a **special drive** was also undertaken for mass awareness about National Lok Adalat by associating local bodies, police, financial institutions, banks, NGOs, stakeholders, representatives of PRIs, PLVs, Asha/Anganwari workers, Public Transport Services etc. **IEC material** (more than 50000 nos. pamphlets) was distributed. Wide publicity was given in print and electronic media, so that maximum number of cases are identified.

In Total about **48354** cases were taken up in the National Lok Adalat before different benches for settlement, out of which about **24008** cases were settled/disposed off, and a sum of **₹69,32,30,685/- (Rupees Sixty Nine Crore Thirty Two Lacs Thirty Thousand Six Hundred Eighty Five only)** was recovered/awarded in National Lok Adalat to the claimants which is **highest ever. Record number of cases were settled** in this National Lok Adalat which is **highest after the year 2015.**

The Detail of Cases

	Pre-Litigation	Post-Litigation	Total
Cases Taken-up	16,023	32,332	48,355
Cases Settled	5,024	18,984	24,008
Disposal Rate	31.35%	58.71%	49.64%

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए 24 हजार से अधिक मामले

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

- राज्य की विभिन्न पीठों में आए थे 48354 केस
- 12 नवंबर को होगी अगली राष्ट्रीय लोक अदालत
- वर्ष 2015 के बाद निपटाए सबसे ज्यादा मामले

प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों मे शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य संरक्षक हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अमजद ए सईद एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना के मार्गदर्शन में किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 48354 मामले उठाए गए। इनमें से लगभग 24008 मामलों का निपटारा किया गया। करीब 69 करोड़ 32 लाख 30 हजार 645 की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को वसूल/पुरस्कार दिया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निपटारा किया गया, जोकि साल 2015 के बाद से सबसे ज्यादा है। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को आयोजित की जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार आने वाले समय में मोटर वाहन चालान तथा नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स मामलों के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार मामलों की पहचान और निपटान के लिए पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया गया। इसमें 10 लाख तक के धारा 138 नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, पारिवारिक मामले, छोटे अपराध और पुराने और संक्रामक मामले तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान व आपराधिक समझौतों को पूर्व-मुकदमेबाजी और मुकदमेबाजी के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए। इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया बल्कि इसे पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पीआरआई, पीएलवी, आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष ने इस पर जोर दिया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

शिमला केसरी
रविवार SUNDAY 14 अगस्त 2022

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न पीठों के समक्ष 48354 मामले उठाए, लगभग 24008 मामलों का निपटारा

शिमला, 13 अगस्त (ब्यूरो): प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को न्यायमूर्ति अमजद ए. सईद मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 48354 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 24008 मामलों का निपटारा किया गया और लगभग 69,32,30,645 रुपए की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को वसूल, पुरस्कार दिया गया।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निपटारा किया गया, जोकि वर्ष 2015 के बाद से सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कान्फ्रैंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कंपाऊंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए प्रेरित किया गया।

दिव्य हिमाचल epaper.divyahimachal.com

लोक अदालत में निपटे 24008 केस

स्टाफ रिपोर्टर – शिमला

प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए पूरे प्रदेश में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी न्यायालयों में संरक्षक-इन-चीफ न्यायमूर्ति अमजद अहतेशम सईद, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के संरक्षण और न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 48354 मामलों को आपसी सुलह-समझौते के लिए लिया गया। इनमें 24008 मामलों का मौके पर निवारण किया गया। इस दौरान 693230645 रुपए का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दिलाया गया। यह मुआवजा वर्ष 2015 की लोक अदालत के बाद सर्वाधिक रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल पांटा ने बताया कि इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, अपितु पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में, स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पीआरआई, पीएलवी, आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों को जोड़कर राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। आईईसी सामग्री (50000 से अधिक पैंफलेट) वितरित की गई।

अब 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल पांटा ने बताया कि इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को होगा, जिसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर व्हीकल चालान और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले लिए जाएंगे।

दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...
DAINIK SAVERA TIMES, SHIMLA
शिमला, रविवार, 14 अगस्त 2022
REGISTRATION NO PB-JL-058/20-22
■ पंजाब,

लोक अदालत में निपटाए 24008 मामले

सवेरा ब्यूरो

शिमला, 13 अगस्तः सूबे में प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के निपटारे के लिए शनिवार को प्रदेश के सभी न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति अमजद ए. सईद और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित लोक अदालतों में विभिन्न पीठों के समक्ष सुनवाई के लिए 48354 मामले आए। इनमें से 24008 मामलों का निपटारा किया गया। निपटाए गए मामलों में दावेदारों को 69 करोड़ 32 लाख से अधिक की रकम दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम पाल रांटा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार मामलों की पहचान और निपटान के लिए पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया गया।

प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए 24008 मामले

69.32 करोड़ रुपये की रिकवरी की

सात साल बाद निपटाए गए रिकार्ड मामले
मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद व न्यायाधीश सबीना के मार्गदर्शन में हुआ आयोजन

जागरण टीम, शिमला : प्रदेशभर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न पीठों के समक्ष 48354 मामले सुनवाई के लिए पेश किए। इनमें 24008 मामलों का निपटारा किया। लोक अदालत में करीब 69 करोड़ 32 लाख रुपये की रिकवरी की गई। सात साल बाद लोक अदालत में इतने ज्यादा मामलों को निपटाया गया।

प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद, जो हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक भी हैं, की देखरेख में आयोजित की। प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सबीना (प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष) के मार्गदर्शन में लोक अदालत आयोजित की गईं। लोक अदालत में सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामला, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों की सुनवाई की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने कहा कि रिकार्ड संख्या में मामलों का निपटारा किया है। अगली लोक अदालत 12 नवंबर को आयोजित की जाएंगी।

The Tribune
CHANDIGARH | MONDAY | 15 AUGUST 2022

24,000 cases settled at Lok Adalat

SHIMLA, AUGUST 14

As many as 24,008 cases were settled/disposed of and a sum of ₹69,32,30,645 was recovered/awarded at the National Lok Adalat held yesterday.

In total, 48,354 cases were taken up for pre-litigation and pending matters before various Benches for settlement.

The National Lok Adalat was held under the patronage of Chief Justice of Himachal Pradesh High Court Amjad Ahtesham Sayed and under the guidance of High Court Judge and Executive Chairperson, Himachal Pradesh State Legal Services Authority Justice Sabina.

Justice Sabina, during a video conferencing held with the judicial officers, laid emphasis on effective identification and disposal of cases before the National Lok Adalat. All the officers were also impressed upon to identify old cases, motor accident claim cases, matrimonial cases, insurance matters, labour court matters and criminal compoundable matters.

A special drive was undertaken for the identification and disposal of Negotiable Instrument Act cases up to ₹10 lakh, family matters, petty offences and criminal compoundable cases for amicable settlement of disputes at pre-litigation and post-litigation stage. — TNS

दैनिक भास्कर

हिमाचल 15-08-2022

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 24 हजार 8 मामले, 69.32 करोड़ रुपए की हुई रिकवरी

हिमाचल प्रदेश में सात साल बाद पहली बार निपटाए गए रिकॉर्ड मामले

भास्कर न्यूज़ | शिमला

प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया। इस लोक अदालत में 48 हजार 354 मामलों को सुनवाई के लिए पेश किया था। इसमें से 24 हजार 8 मामलों का निपटारा किया।

इस लोक अदालत में 69 करोड 32 लाख 30 हजार 645 रुपए की रिकवरी की गई। सात साल बाद लोक अदालत में इतने ज्यादा मामलों को निपटाया है। प्रदेश भर में आयोजित की गई यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद जो हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधीकरण के संरक्षक भी है कि देखरेख में आयोजित किया गया।

कई मामले निपटाए : प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सबीना जो प्राधीकरण की कार्यकारी अध्यक्ष है उनके मार्गदर्शन में यह लोक अदालत आयोजित की गई। इस लोक अदालत में सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामला, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों पर सुनवाई की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने कहा कि इस लोक अदालत में रिकार्ड संख्या में मामलों का निपटारा किया गया जो कि 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। अगली लोक अदालत 12 नवंबर को आयोजित की जाएगी। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार आने वाले समय में मोटर वाहन चालान औश्र नेगोशिएबल इन्यस्ट्रूमेंटस मामलों के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएगी।

National Lok Adalat Settles Record 24,008 Cases and Awards Rs 69.32 Crore as Compensation to Claimants

Category: Latest Published: 13 August 2022 Hits: 46

Author: Kuldeep Chauhan/HimbuMail Service

SHIMLA: As many as 24008 cases were settled or disposed off and compensation amount worth ₹69.32 Crore recovered or awarded to the claimants in the National Lok Adalat held in a Utsav-like spirit in all the courts in Him Pradesh on Saturday today.

This is a record number of cases settled in this National L Adalat- the highest after the year 2015.

> **What is noteworthy is that all the stakeholders participated in the National Lok Adalat in a Utsav-like spirit and came forward to settle their pending cases.**

National Lok Adalat is held at a time when India is celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, with HPSLSA taking the sp drive right into the remote and nearby territories of the claimants, making their "access to justice easier and earlier".

> **According to the member secretary HP State Legal Services Authority(HPSLSA), Prem Pal Ranta about 48,354 cases were taken up for settlement in the National Lok Adalat before different benches across the state.**

All in all, 24008 cases were settled or disposed off and compensat amount of ₹69.32 Crore was recovered or awarded to the claimants the National Lok Adalat, he informed.

> **The National Lok Adalat for pre-litigation and pending matters was organized under the patronage of Patron-in-Chief Mr Justice Amjad Ahtesham Sayed, Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh and under the guidance of Mrs. Justice Sabina, Judge, High Court of Himachal Pradesh, who is also the Executive Chairperson, HPSLSA.**

The large turnout was due to efforts put in by the Executive Chairperson. She hold video conferencing with the Ju Officers, laid emphasis on effective identification and disposal of cases before National Lok Adalat.

> **All the Judicial Officers were also impressed upon to identify old cases, motor accident claims cases, matrimonial cases, insurance matters, labour court matters, criminal compoundable matters for settlement in the National Lok Adalat today.**

As directed by the Executive Chairperson, HPSLA launched a special drive, identified the cases of Negotiable Instrumer upto the value Rs 10 Lakhs, Family Matters, Petty Offences, old and infective cases and Criminal Compoundable case amicable settlement in the National Lok Adalats.

This time National Lok Adalat was organised and celebrated in spirit of an Utsav all over the state.

> **"HPSLA also launched a mass awareness campaign about National Lok Adalat. Local bodies, police, financial institutions, banks, NGOs, stakeholders, representatives of PRIs, PLVs, Asha/Anganwari workers, Public Transport Services were roped in to make national Lok Adalat a success, said Ranta.**

Not only this, IEC material worth 50,000 pamphlets was distributed among the populace and stakeholders to encou their participation in the National Lok Adalat.

Ranta informed that next National Lok Adalat will be held on 12th Novem 2022.

> As per directions of Executive Chairperson, special Lok Adalats will be held for Motor Vehicle Challans and Negotiable Instruments Act cases in areas where pendency is more, he added.